न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग/3461/I/15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

1– कश्मीर सिंह पुत्र नत्थासिंह सिख
2– हीरासिंह पुत्र जागीरसिंह
3– सुखदेवसिंह पुत्र जागीरसिंह
4– बुटासिंह पुत्र बलविन्दर सिंह
5– जागेन्दरसिंह पुत्र बलविन्दर सिंह
6– जितेन्द्रर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह
7– सुचिन्दर सिंह पुत्र गुरूदयाल सिंह
8– सरवनसिंह पुत्र श्री गुरूदयालसिंह
9– राजेन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह सिख
10– बलविन्दरसिंह पुत्र गुरूदयाल सिंह
11– सतनामसिंह पुत्र बलविन्दरसिंह
12– रंजीत कौर पत्नी बाबा सिंह सिख
13– करमजीत कौर पत्नी बलविन्दर सिंह
14– नरेन्दर कौर पत्नी सुखवीरसिंह
15– करमजीत कौर पुत्री सुखवीर सिंह
16– विमलदीप कौर पुत्री सुखवीरसिंह
17– मुखविन्दर सिंह पुत्र जोगेन्दर सिंह
निवासीगण – ग्राम भादोन माघौगढ़ चक्क तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2– सचेन्द्र पाराशर पुत्र आशाराम पाराशर
निवासी – पछार तहसील व जिला अशाोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/बी–121 /2014–15 पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3461–एक/2015 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 38/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20/04/15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर	